

Friday, August 8, 2025



गुरुग्राम | कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए एसपीआरईई- 2025 योजना की शुरुआत की है. ऐसे में यदि आप किसी कंपनी या औद्योगिक इकाई में नौकरी करते हैं. अब तक इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं है, तो 1 जुलाई से शुरू हुई यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी. इस समयावधि के दौरान आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

बिना जांच के करवा सकेंगे पंजीकरण

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में शिमला में ESIC की 196वीं बैठक बुलाई गई थी जिसमें एसपीआरईई- 2025 (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दी गई है.

इसमें जिन नियोक्ताओं ने अब तक अपने कर्मचारियों को बीमा योजना में नहीं जोड़ा है. वह इस दौरान बिना किसी जांच या सजा के पंजीकरण करवा सकते हैं. अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों (संविदा और अस्थायी कर्मचारी) को निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग के बिना नामांकन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा.

घोषित तिथि से माना जाएगा वैध

गुरुग्राम प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए- पोर्टल के जरिए अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं. नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से पंजीकरण को वैध माना जायेगा. नियोक्ता जिस तारीख को पंजीकरण घोषित करेगा, उसी दिन से उसे योजना में शामिल माना जाएगा. पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई अंशदान या लाभ नहीं देना होगा.
